<u>न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)</u> श्रृ<u>ंखला न्यायालय बैहर</u>

(पीठासीन अधिकारी– माखनलाल झोड)

Filling No. MCA/279/2017 CNR-MP50050050021002017 Case No. MCA/09/2017 संस्थित दिनांक—18-07-2017

1- श्रीमती अनीसा बेगम आयु 53 वर्ष पिता अब्दुल अजीज

2— अब्दुल वकील उम्र **27** वर्ष पिता अब्दुल अजीज दोनों निवासी—वार्ड नंबर 20 ग्राम भिमजोरी तहसील बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — **अपीलार्थी गण**

-// विरूद्ध //-

मुख्य नगर पालिका मलाजखण्ड द्वारा :— मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — —

[न्यायालयः व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, बैहर श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, द्वारा व्य. वाद क. 137ए—/2017 श्रीमती अनीशा बेगम बनाम मुख्य नगर पालिका में पारित आदेश दिनांक 13.07,2017 से क्षुब्ध होकर यह अपील पेश की है]

श्री प्रवेश मलेवार अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण। श्री संतोष शुक्ला अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी ।

-/// <u>आदेश</u> ///-(आज दिनांक 05 सितम्बर 2017 को घोषित)

- 1. अपीलार्थीगण यह विविध अपील न्यायालय—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर पीठासीन अधिकारी श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, द्वारा व्यवहार वाद कमांक 137ए/2017 श्रीमती अनिशा बेगम +1 बनाम मुख्य नगर पालिका में आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. जिसका अंतरवर्ती आवेदन कमांक 1 है, के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दिनांक 13.07.2017 को आदेश पारित कर, आवेदन अस्वीकार कर निरस्त किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।
- 2. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. जिसका अंतरवर्ती

आवेदन क्रमांक 1 है, का सार यह है कि वादी क्रमांक 1 के स्वामित्व और आधिपत्य की ग्राम खुर्सीपार प.ह.न. 43 में ख.क. 11/114, 11/19, 14/1, 14/12 कुल रकबा 2.771 हेक्टेयर भूमि है जिसमें मदीना पोल्ट्रीफार्म के नाम से पोल्ट्रीफार्म का संचालन किया जा रहा है। वादी क्रमांक 2 ने उक्त पोल्ट्रीफार्म के लिए वादी क. 1 की उक्त भूमि में विधिवत अनुमित प्राप्त कर पोल्ट्रीफार्म का निर्माण किया और संचालन कर रहा है। मुर्गी पालन की उचित व्यवस्था की गई है, कोई प्रदूषण नहीं फैल रहा है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रावधान के अंतर्गत अनुमित हेतु विधिवत आवेदन दिया था जो स्वीकृत किया जाना शेष हैं। वादी क. 2 ने विधिवत शुल्क 2400/—रू. जमा की है। आपसी रंजिशवश कुछ व्यक्तियों ने उक्त पोल्ट्रीफार्म को हटाने के लिए शिकायतें की है, जॉच में कोई कमी नहीं पायी गई।

- 3. पोल्ट्रीफार्म की जॉच के दौरान बिष्ट को निस्सारण करने के संबंध में दिनांक 30.03.2017 को प्रतिवादी द्वारा निर्देशित किया गया था। वादी कृ. 2 ने प्रतिवादी के कार्यालय में दिनांक 04.04.2017 को जवाब पेश किया और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है। झूठी शिकायत के आधार पर प्रतिवादी ने जॉच दल गठित किया। जॉच में पाया गया कि वादी कृ. 2 ने कोई उल्लंघन नहीं किया है। पुनः दिनांक 09.05.17 को झूठी शिकायत के आधार पर पोल्ट्रीफार्म बंद कराए जाने हेतु सूचना पत्र दिया गया। वादीगण को आशंका है कि दोनों नोटिस के आधार पर पोल्ट्रीफार्म को अवैध रूप से तोड़ने की कार्यवाही प्रतिवादी द्वारा की जाएगी। वादीगण के विरूद्ध बनावटी नोटिस दिया है जबिक वादीगण ने कोई अपराध नगर पालिका अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन नहीं किया है।
- 4. प्रतिवादी बलपूर्वक अवैध निर्माण बताकर पोल्ट्रीफार्म तोड़ देगा जिसके लिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है। यदि पोल्ट्रीफार्म तोड़ दिया तो अपरिमित क्षति होगी। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद के निराकरण तक वादग्रस्त पोल्ट्रीफार्म के निर्माण को अवैध बताकर तोड़फोड़ न करें।
- 5. उक्त आवेदन पत्र के उत्तर दिनांक 04.07.2017 द्वारा आवेदन पत्र के प्रत्येक पद का पृथक—पृथक उत्तर देकर आवेदन पत्र में किए गए आक्षेपित अभिकथनों को अस्वीकार किया है। विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि आवेदिकागण ने ग्राम खुर्सीपार वार्ड नंबर 20 ख.क. 14/12 रकबा 30 डिसमिल भूमि पर पोल्ट्रीफार्म, शेड निर्माण का प्रस्ताव पेश किया था जिसमें शेड, आफीस, रेस्ट रूम कुल 4800 वर्गफिट भूमि पर निर्माण की

अनुमित दी गई थी। इससे अधिक पर पोल्ट्रीफार्म संचालन की अनुमित नहीं दी गई। आवेदक कमांक 2 ने किसी भी कार्यालय से अनुमित प्राप्त किए बिना 2013 में पोल्ट्रीफार्म/मदीना एग्ज सेंटर को अवैध रूप से संचालन कर लिया, समीपस्त निवासरत प्रभावित व्यक्तियों ने शिकायत करने पर जॉच की गई। आवेदक कमांक 1 को 4800 वर्गिफेट भूमि पर निर्माण करने की अनुमित दी गई थी किंतु आवेदकगण ने 18374 वर्गिफेट भूमि पर निर्माण कर लिया है जो 13574 वर्गिफेट अधिक है, प्रदूषण रोकने कोई उपाए नहीं किए गए है। मरी मुर्गियों को पास के नाले में फेंकने से नदी का जल प्रदूषित हो रहा है, अनाथ आश्रम 100 मीटर दूरी पर स्थित है, कृषि कार्य करने वालों को अत्यंत दुर्गन्ध का सामना करना पड़ता है, शिकायत जॉच दल द्वारा उचित असत्य पायी गई है, धारा 232 नगर पालिका अधिनियम के अधीन निर्माण हटाने का पूर्ण अधिकार है, दांडिक प्रावधानों का इस मामले से कोई सरोकार नहीं है, प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नहीं है, आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।

प्रस्तुत विविध अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 द.प्र.सं. निरस्त कर त्रुटि की है, प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में न मानकर त्रुटि की है, अपूरणीय क्षति का तत्व पक्ष में न मानकर त्रुटि की है, दस्तावेजों की आदेश में विवेचना नहीं की है, नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों को समझने में भूल की है, त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, अपीलार्थी द्वारा विधिवत अनुमित प्राप्त कर पोल्ट्रीफार्म का निर्माण किया गया है और पोल्ट्रीफार्म का संचालन किया जा रहा है, अपीलार्थी द्वारा पोल्ट्रीफार्म से मुर्गियों के निकलने वाले मल को समय-समय पर निस्सारण किया जाता रहा है, निरीक्षण पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा किया जाता रहा है, पोल्ट्रीफार्म आवासीय क्षेत्र एवं मुख्य सड़क से काफी दूर स्थित है, अपीलार्थी के द्वारा नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई उल्लंघन नहीं किया गया है विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य का उचित निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन प्रेषित करने का दिनांक 16.05.17 को आवेदन प्रेषित किया गया है, जिस पर विचार न कर त्रुटि की है, अपीलार्थीगण को दिए गए नोटिस में न्यूसेंस होना लेख नहीं है, धारा 187 का उल्लंघन होने से अभियोजन चलाने का अधिकार है, आदेश दिनांक 30.07. 2017 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किए जाने की याचना की है।

7. अपील के निराकरण हेतु अधाेलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं :-

क.	विचारणीय प्रश्न
1.	क्या विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद
	क. 137ए/2017 श्रीमती अनिशा बेगम विरूद्ध मुख्य
	नगर पालिका मलाजखण्ड में पारित आदेश दिनांक
	13.07.2017 में अशुद्धता, तथ्य की त्रुटि एवं विधि की
*	त्रुटि होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ण:-

- 8. उभयपक्षों द्वारा किए गए विस्तृत तर्कों को विचार में लिया गया। अपीलार्थी की ओर से आज पेश 4 पृष्ठीय लिखित तर्क का अध्ययन कर विचार में लिया गया।
- 9. वादी/अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष सूची दिनांक 14.06.2017 को 1 लगायत 15 दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसमें निर्माण से संबंधित स्वीकृत नक्शा पेश नहीं है, क्षेत्रफल के संबंध में कोई स्थिति पेश नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा पेश सूची दिनांक 06.07.2017 के साथ पेश दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी/वादी ने प्रत्यर्थी के उत्तर का कि 13574 वर्गफिट पर अधिक निर्माण कर लिया है, का खंडन नहीं है।
- 10. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह संभव नहीं है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 सहपिटत धारा 151 द.प्र.सं. में निष्कर्ष निकालने में कोई विधिक त्रुटि की है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07. 2017 में हस्तक्षेप किए जाने योग्य आधार अभिलेख पर विद्यमान नहीं है।
- 11. अतः अपीलार्थी / वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य न होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।
- 12. आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा के न्यायालय की ओर भेजी जावे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया। मेरे डिक्टेशन पर टंकित किया गया।

सही / — **(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर. सही / — **(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर.

